

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 58/2022GCMS No. 2022/58

अपीलांत—	बनाम	उत्तरदातागण—
1. बालमसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपुत निवासी केसुम्बला भाटियान तहसीला गिड़ा, जिला बालोतरा।	बनाम	1. तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश क्रमांक 28/2021 दिनांक 14.10.2021 को राज्य सरकार बनाम सुरतानसिंह अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री गणेश कुमार गोदारा, अधिवक्ता अपीलांत की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक:-22.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के विरुद्ध आदेश तहसीलदार गिड़ा द्वारा प्रकरण सं. 28/2021 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2021 के विरुद्ध पेश की गई है। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा मौजा केसुम्बला भाटियान के खसरा संख्या 30 रकबा 0.0044 हेक्टर किस्म गै.मु. ओरण राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त के विरुद्ध बेंदखल कर 5.00 रुपये जुर्माना राशि वसूल करने व भौतिक रूप से बेंदखल के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्त ने एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2021 को निरस्त कर अपीलान्त के विरुद्ध जारी बेदखली व जुर्माने के आदेश को अपास्त करने व अपीलान्त के नाम भूमि का आवंटन नियमन करने की अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का केसुम्बला भाटियान द्वारा तहसीलदार गिड़ा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केसुम्बला भाटियान के खसरा संख्या 30 मौजा केसुम्बला भाटियान के रकबा 0.0044 हेक्टर किस्म गै.मु. ओरण भूमि पर गैर सायल द्वारा कब्जा कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है। जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।





अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

बहस सुनी गई,अपीलांट के अधिककता ने लिखित बहस दिनांक 14.03.2022 को पेश की गई। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने पर पाया गया न्यायालय तहसीलदार गिड़ा के फैसला दिनांक 14.10.2021 तक अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया अपीलांट के द्वारा जबाव भी पेश किया गया। इस पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा बार सुनवाई अपीलांट को ओरण भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 14.10.2021 को 05.00/- रुपये जुर्माना अधिरोपित करने एवं अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

1. अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।
2. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील साख्धीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनिस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार गिड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुसार मे विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(डॉ गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा